भा.कृ.अनु.प. –केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - Central Institute for Arid Horticulture
Sriganganagar Highway, Beechwal Indl. Area Post Office, Bikaner (Raj.)-334006

Phone
Director 0151-2250147
AO/AAO 0151-2253123
EPABX 0151-2250960
Fax 0151-2250145
Email ciah@nic.in

क्रमांक:07(ii)22/CS/Survey Vehicle/2013/ 2863 दिनांक: 14.07.2017.

स्पीड पोस्ट

मैसर्स मोहिनी एंटरप्राइजेज,
जैन कोलेज के पीछे,
बीज फेक्ट्री के पास,
गंगाशहर, बीकानेर (राज.)।

विषय: संस्थान में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु।

संदर्भ: 1. आपका पत्र संख्या 3557 दिनांक 06.06.2017 एवं पत्र क्र.2351 दिनांक:05.07.2017 (साथ में अनुबंध विलेख दिनांक 04.07.2017 व परफोरमेंस राशि रु.10,000/- (डी.डी.सं.458415 दि.05.07.2017)।
2. संस्थान पत्र.सं.07(ii)22/CS/Survey Vehicle/2013/2617 दिनांक:01.07.2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत परफोरमेंस सिक्योरिटी एवं अनुबंध विलेख संस्थान के सक्षम अधिकारी ने अनुमोदित कर दिया गया है। अत: संस्थान में किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित दरों व शर्तों पर अनुबंध की अवधि को एक वर्ष (जुलाई, 2017 से जून, 2018) बढा दी गयी है।

क्रमांक	विवरण	वाहन (नोन-ए.सी)				वाहन (ए.सी)			
		तवेरा	बोलेरो	इनोवा	स्विफ्ट	तवेरा	बोलेरो	इनोवा	स्विफ्ट
1.	बाहरी यात्रा के दर प्रति कि.मी. (न्युनतम 300 कि.मी. प्रति दिन)	11.50	10.00	14.00	10.00	12.50	11.00	15.00	10.50
2.	बाहरी यात्रा के दर प्रति कि.मी. (न्युनतम 200 कि.मी. प्रति दिन)	18.00	17.00	24.00	16.00	18.00	17.00	28.00	16.00
3.	रात्री दर (बाहरी यात्रा दौरान)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00

अत: आपसे निवेदन है कि आप उपरोक्त दरों व निम्नलिखित शर्तों के आधार पर संस्थान की आवश्यकता अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुबंध अवधि के दौरान वाहन उपलब्ध करावें:-

1. वाहन निश्चित दिनांक व समय पर उपलब्ध करवाना होगा।
2. वाहन बीच रास्ते में खराब हो जाने या दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अनुबंधकर्ता को वैकल्पिक वाहन उपलब्ध करवाना होगा तथा क्षति की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
3. वाहन का माइलोमीटर सही रहना आवश्यक है। खराब होने की स्थिति में :
   क) संस्थान अनुमानित किलोमीटर निर्धारण का अधिकार रखता है,
   ख) खराब माइलोमीटर को तुरंत सही करवाना आवश्यक रहेगा।
4. दावों का निपटारा बीकानेर स्थित न्यायालयों की परिधि में ही किया जायेगा।

5. वाहन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात एवं उत्तराखण्ड आदि राज्यों के जिलों के विभिन्न ग्रामों में भी ले जाया जा सकता है, अत: इन अथवा अन्य राज्यों के टेक्स की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। टोल टेक्स, बिल के साथ रसीद लगाने पर दिया जाएगा।
6. अनुबंध अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नही किया जा सकेगा।
7. वाहन चालक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति वाहन के साथ स्वीकार्य नहीं है।
8. वाहन सम्पूर्ण संविदा अवधि के लिए पंजीकृत, काम्प्रीहेंसीव बीमा, फिटनेस व अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र, दस्तावेज, टेक्सी परमिट से कवर्ड आदि से ही पूर्ण होना चाहिए।
9. वाहन वर्ष जनवरी 2011 से पहले का नहीं होना चाहिए तथा कॉमर्शियल नम्बर (टेक्सी नं.) होने चाहिए।
10. यात्रा कार्यों के दौरान संस्थान के सामान जो वाहन में ले जाया जा रहा है, के खो जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता को करनी होगी।
11. वाहन मांग के अनुसार उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में अधिकतम 10% पेनेल्टी राशि बिल में से काट ली जायेगी।
12. वाहन चालक के पास मान्य लाईसैंस होना आवश्यक है तथा वह व्यवहार कुशल एवं साक्षर होना चाहिए।
13. संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की ईंधन, अग्रिम राशि वगैरह देय नहीं होगी। भुगतान चैक द्वारा आवश्यक टेक्स आदि की कटौती उपरांत किया जायेगा। भुगतान के लिए यात्रा समाप्ति पर तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ बिल प्रस्तुत करना होगा। बिल का भुगतान ई-बैंक माध्यम से किया जायेगा, इसके लिए बिल के साथ बैंक नं., बैंक का नाम, आई.ए.सी.ई. कोड आदि देने होंगे।
14. वर्णित कार्य के अनुबंध पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे संस्थान के मुख्यालय भा.कृ.अनु.परि., नई दिल्ली द्वारा नियुक्त पंच (Arbitrator) को सुपुर्द कर दिया जावेगा। पंच के निर्णय को मानने के लिए दोनो पक्ष बाध्य होंगे।
15. अनुबंधकर्ता के वाहन एवं कार्य से संतुष्ट नहीं होने के पर अनुबंध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार संस्थान को होगा, ऐसी स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

भवदीय,

(कुलदीप पान्डे)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (बिल अनुभाग), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. प्रभारी भण्डार, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
4. सतर्कता अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
5. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
6. प्रभारी एकेएमयु प्रकोष्ठ - उपरोक्त को संस्थान वेब साईट एवं CPP-NIC Portal पर Upload करने हेतु।

Sh. Sanjay Patil.

14/7/17

सहायक प्रशासनिक अधिकारी